प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का भंडाफोड़:

हरियाणा से बिहार जा रही कूट रचित (फर्जी) नंबर प्लेट लगी कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 03 शातिर तस्कर गिरफ्तार

दिनांक 22.09.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद सीतापुर में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवम् बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 22.09.26 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद श्री कपूर कुमार के पर्यवेक्षण में **एसओजी व थाना महमूदाबाद पुलिस टीम** द्वारा 03 शराब तस्करों 1. बजरंगी राय पुत्र सत्यनरायन राय निवासी पमरा थाना पुनौरा जनपद सीतामढी बिहार 2. रमेश सिंह पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जलसी थाना सहियारा जिला सीतामढ़ी बिहार 3. पप्पू कुमार पुत्र शैलेन्द्र शाह निवासी रामनगरा थाना रीगा जिला सीतामढ़ी बिहार को मोतीपुर बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के कब्जे से हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांडों की कुल 223 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब एवं तस्करी में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी ईटियोस कार बरामद की गई है। बरामद कार को धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया है एवम् गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 377/26 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व धारा 3(5)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत कर चालान मा.न्यायालय किया जा रहा है।

मोडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका):-पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि बिहार में शराबबंदी होने के कारण वे हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर कार के डैशबोर्ड, सीटों के नीचे बने बॉक्स, दरवाजों व सीएनजी सिलेंडर में छिपाकर लाते थे तथा बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस व टोल टैक्स से बचने के लिए वे गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. बजरंगी राय पुत्र सत्यनरायन राय निवासी पमरा थाना पुनौरा जनपद सीतामढी बिहार
2. रमेश सिंह पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जलसी थाना सहियारा जिला सीतामढ़ी बिहार
3. पप्पू कुमार पुत्र शैलेन्द्र शाह निवासी रामनगरा थाना रीगा जिला सीतामढ़ी बिहार

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 377/26 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व धारा 3(5)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर

बरामदगी का विवरण:-

- **अवैध अंग्रेजी शराब (कुल 223 बोतल):**

  - रॉयल चैलेंज क्लासिक प्रीमियम व्हिस्की (750 ML) - 46 बोतल
  - रॉयल स्टैग प्रीमियम व्हिस्की (750 ML) - 81 बोतल
  - रॉयल स्टैग प्रीमियम व्हिस्की (375 ML) - 14 बोतल
  - रॉयल स्टैग प्रीमियम व्हिस्की (180 ML) - 35 बोतल
  - ऑल सीजन गोल्ड कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की (750 ML) - 23 बोतल
  - मैजिक मोमेंट्स फ्लेवर वोदका (750 ML) - 24 बोतल

  (सभी बोतलों पर "FOR SALE IN HARYANA ONLY" अंकित है)

- **वाहन: 01 ईटियोस कार (वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर BR01KG5234, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट BR01BW4340 लगी थी)। कार को धारा 207 एम.वी. एक्ट के तहत सीज किया गया है।**

पुलिस टीम:- प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र विक्रम सिंह ,उ0नि0 विनोद कुमार गिरि,उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह,हे0का0 वेगवान सिंह ,का0 विपिन कुमार,का0 मोनू,का0 राहुल वर्मा

एसओजी टीम-उप निरीक्षक श्री अरविन्द शुक्ला,हे0का0 शराफत अली ,हे0का0 हेमन्त कुमार सिंह,हे0का0 अविनाश सिंह,,हे0का0 सोहनपाल हे0का0 अनुराग पाण्डेय,क0आ0 गुरपाल सिंह ,का0 दीपक रंजन ,का0 पुनित कुमार,का0 प्रशांत शेखर सिंह,,का0 सोनल तोमर का0 अमित मांगट ,का0 दानवीर ,का0 भानु,का0 शैंकी,का0 ब्रह्मफूल,म0का0 डॉली रानी

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश पुलिस